रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 1966/भाद्र 11, 1888
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 1966/BHADRA 11, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

2 0 SEP

MINISTRY OF EDUCATION

ORDER (COPYRIGHT)

New Delhi-2, the 31st August, 1966.

S.O. 2678.- In exercise of the powers conferred by section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:-

1. This Order may be called the International Copyright (Third Amendment) Order, 1966.
2. In the International Copyright Order, 1958, in Part I of the Schedule, after the entry "Luxembourg", the entry "Republic of Malagasy" shall be inserted.

[No.F.3-5/66-C.O.]
A.M.D'ROZARIO, Jt. Secy.

शिक्षा मंत्रालय

आदेश (कापी राइट)

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1966

सा० आ० 2678 ए.—प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात.—

1. यह आदेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (तीसरा संशोधन) आदेश, 1966 कहा जाए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 की अनुसूची के भाग I में लकजेम्बर्ग की प्रविष्टि के बाद 'रिपब्लिक आफ मलागसी' की प्रविष्टि की जायगी।

[सं० एफ– 3-5/66 कापी राइट]

ए० एम० डी० रोजारियो, संयुक्त सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966